



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 127387

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध ज़मानत आवेदन संख्या - 19879 वर्ष 2026

अनिरुद्ध ओझा उर्फ सोखा

....आवेदक

बनाम

यूपी राज्य

.... प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : आलोक चंद्र, करुणेश प्रताप सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के अधिवक्ता और यूपी. राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड देखा।
2. यह ज़मानत आवेदन, मुकदमा अपराध संख्या 528/2025 (पुलिस स्टेशन रामगढ़ ताल, ज़िला गोरखपुर) में आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने के लिए दायर की गई है। यह मामला यूपी. गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम की धाराओं 2(बी)(i), 2(बी)(वी), 2(b)(xi), 2(b)(xiv) और 3(1) के तहत दर्ज है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक एक निर्दोष व्यक्ति है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक की ओर से यह भी कहा गया है कि गैंग चार्ट में आवेदक के खिलाफ चार मामले दिखाए गए हैं और इन सभी मामलों में आवेदक ज़मानत पर है।

4. उन्होंने आगे कहा कि जिस एफ.आई.आर. की बात हो रही है, उसमें आवेदक पर सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने और अनुचित सांसारिक, आर्थिक, भौतिक या इसी तरह का कोई अन्य लाभ उठाने के जो आरोप लगाए गए हैं, वे अस्पष्ट हैं। साथ ही, उन्होंने कहा कि अगर आरोपी के किसी ऐसे काम या काम न करने के बारे में कोई आरोप नहीं है जो इस एक्ट की धारा 2 में दी गई "गैंग" और "गैंगस्टर" की परिभाषा के दायरे में आता हो, तो ऐसी एफ.आई.आर. कानूनी रूप से मान्य नहीं है। इस मामले में, एफ.आई.आर. पहले से चल रहे आपराधिक मुकदमा (मुकदमों) पर आधारित है, न कि किसी ऐसे नए आरोप या तथ्य की खोज पर जिसका समाज पर गंभीर असर पड़ा हो—जिस मकसद से यह एक्ट बनाया गया था।

5. उन्होंने यह भी कहा कि इस कानून के प्रावधानों का इस्तेमाल नागरिकों से बदला लेने, उन्हें परेशान करने या डराने-धमकाने, या फिर राजनीतिक या अन्य मामलों में हिसाब-किताब बराबर करने के हथियार के तौर पर नहीं किया जा सकता।

6. उन्होंने कहा कि इस मामले में ऐसा लगता है कि ज़िला प्रशासन ने अच्छा काम दिखाने, तारीफ़ पाने या सरकार या सत्ताधारी पार्टी के आला अधिकारियों से सराहना हासिल करने के मकसद से इस कानून के प्रावधानों को लागू किया है, जो कि अनुचित है।

7. उन्होंने यह भी कहा कि ऊपर बताए गए मामले के तथ्यों को देखते हुए, यह मानने के लिए उचित आधार है कि आवेदक गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराध का दोषी नहीं है और वह ज़मानत पर

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



रहने के दौरान अपराध नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि ज़मानत पर रहने के दौरान आवेदक कोई अपराध नहीं करेगा और न ही सबूतों से छेड़छाड़ करने या किसी भी तरह से गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करेगा।

8. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक इस मामले में 18.8.2025 से जेल में बंद है और ऐसी कोई आशंका नहीं है कि अगर उसे ज़मानत मिल जाती है, तो वह कानून से भाग जाएगा या विचारण न्यायालय के सामने पेश नहीं होगा; साथ ही, रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत/सामग्री इतनी मज़बूत नहीं है कि यह माना जा सके कि आवेदक गैंग चार्ट में बताए गए अपराधों का दोषी है।

9. इन हालात में, आवेदक ज़मानत का हकदार है। ज़मानत पर रिहा होने पर, वह ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।

10. विद्वान ए.जी.ए. ने ज़मानत की आवेदन का विरोध किया है, लेकिन निष्पक्ष रूप से यह माना है कि गैंग चार्ट में बताए गए मामलों में आवेदक ज़मानत पर है। हालाँकि, उन्होंने आगे कहा कि आवेदक एक गैंग का सदस्य है और आदतन अपराध करता है। अगर आवेदक को ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो वह फिर से ऐसी ही असामाजिक गतिविधियों में शामिल होगा और अभियोजन पक्ष के गवाहों को धमकाकर और डरा-धमकाकर ज़मानत का गलत इस्तेमाल करेगा।

11. यू.पी. गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4) इस प्रकार है:-

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



"(4) कोड में दी गई किसी भी बात के बावजूद, इस एक्ट या इसके तहत बने किसी नियम के तहत सज़ा-योग्य अपराध के आरोपी किसी व्यक्ति को, अगर वह कस्टडी में है, तो ज़मानत या अपने बॉन्ड पर तब तक रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि--

(a) पब्लिक प्रॉसिक्यूटर को ऐसी रिहाई की आवेदन का विरोध करने का मौका न दिया गया हो, और

(b) जहाँ पब्लिक प्रॉसिक्यूटर आवेदन का विरोध करता है, वहाँ न्यायालय इस बात से संतुष्ट न हो कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और ज़मानत पर रहने के दौरान उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।"

12. यू.पी. गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4) को ध्यान में रखते हुए, मैंने रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों, गैंगचार्ट में बताए गए अपराध की प्रकृति और आरोपी-आवेदक के आपराधिक बैकग्राउंड पर विचार किया है।

13. 'यूनियन ऑफ़ इंडिया बनाम के.ए. नजीब' (2021) 3 एससीसी 713 मामले में यह तय किया गया था कि संविधान के भाग III में दी गई आज़ादी के दायरे में न सिर्फ़ सही प्रक्रिया और निष्पक्षता आती है, बल्कि न्याय तक पहुँच और तेज़ी से मुकदमा चलना भी शामिल है। 'सर्वोच्च न्यायालय लीगल एड कमिटी (जो विचाराधीन कैदियों का प्रतिनिधित्व करती है) बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया' मामले में यह तय किया गया था कि विचाराधीन कैदियों को मुकदमा चलने तक अनिश्चित काल के लिए हिरासत में नहीं रखा जा सकता। आदर्श रूप से, किसी व्यक्ति को अपने कामों के बुरे नतीजों का सामना तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि किसी निष्पक्ष मध्यस्थ के सामने वे साबित न हो जाएँ। हालाँकि, असल ज़िंदगी की व्यावहारिकताओं को देखते हुए—जहाँ असरदार मुकदमा सुनिश्चित

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



करना और मुकदमे के दौरान किसी संभावित अपराधी के खुले घूमने से समाज को होने वाले जोखिम को कम करना ज़रूरी होता है—अदालतों को यह तय करना होता है कि किसी व्यक्ति को मुकदमे के दौरान रिहा किया जाए या नहीं। जब यह साफ़ हो जाता है कि समय पर मुकदमा चलना संभव नहीं होगा और आरोपी ने काफी समय तक जेल की सज़ा काट ली है, तो अदालतें आम तौर पर उन्हें ज़मानत पर रिहा करने के लिए बाध्य होती हैं।

14. ऊपर बताई गई पक्षों की दलीलों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक उद्देश्य और सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों - **दाताराम सिंह बनाम यूपी राज्य व अन्य (2018) 3 एससीसी 22 और सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई व अन्य एस.एल.पी.(सीआरएल.) संख्या 5191 of 2021)** - को ध्यान में रखते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय दिए बिना, ज़मानत की आवेदन मंजूर की जाती है।

15. उक्त अपराध में शामिल आवेदक-**अनिरुद्ध ओझा उर्फ सोखा** को ज़मानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का एक व्यक्तिगत संबंध और दो ज़मानतदार पेश करे, और साथ ही निम्नलिखित शर्तों का पालन करे :-

(i) आवेदक को यह शपथ-पत्र देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में मौजूद हों, तो वह सबूत पेश करने के लिए तय तारीख पर सुनवाई टालने की मांग नहीं करेगा। अगर इस शर्त का पालन नहीं किया जाता है, तो विचारण न्यायालय इसे ज़मानत की आज़ादी का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश दे सकता है।

(ii) आवेदक को तय तारीखों पर विचारण न्यायालय में खुद या अपने अधिवक्ता के ज़रिए मौजूद रहना होगा। अगर वह बिना किसी ठोस वजह के गैर-हाज़िर रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए / बी.एन.एस. की धारा 269 के तहत कार्रवाई कर सकता है।

(iii) अगर आवेदक विचारण के दौरान ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल करता है, तो उसकी मौजूदगी पक्की करने के लिए सीआर.पी.सी. की धारा 82 / बी.एन.एस.एस. की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है। अगर आवेदक ऐसी उद्घोषणा में तय तारीख पर न्यायालय के सामने पेश नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय कानून के मुताबिक उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए / बी.एन.एस. की धारा 209 के तहत कार्रवाई शुरू करेगा।

(iv) आवेदक को विचारण न्यायालय के सामने इन तारीखों पर खुद मौजूद रहना होगा: (1) मुकदमा शुरू होने पर, (2) आरोप तय होने पर, और (3) सीआर.पी.सी. की धारा 313 / बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के तहत बयान दर्ज होने पर। अगर विचारण न्यायालय को लगता है कि आवेदक जानबूझकर या बिना किसी ठोस वजह के गैर-हाज़िर रहा है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक को ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल मान सकता है और कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

16. ऊपर दी गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह ज़मानत रद्द करने का आधार होगा।

17. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को ज़मानत देते समय की गई टिप्पणियों का, गवाहों के बयानों के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में संबंधित विचारण न्यायाधीश पर किसी भी तरह से कोई असर नहीं पड़ेगा।

16 जून, 2026

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



ललित शुक्ला

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”